रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222504
CG-DL-E-16102020-222504

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3218] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2020/ आश्विन 23, 1942
No. 3218] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2020/ ASVINA 23, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3630(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2455 (अ), तारीख 10 जुलाई, 2019, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 10 जुलाई, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया;

और, महाराष्ट्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. डब्ल्यूएलपी/1085/सी.आर.581/वी.एफ.5/तारीख 16 सितंबर, 1985 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों के अधीन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित अभयारण्य राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य का 351.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घोषित किया है;

और, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य प्रचुर पक्षी-जीवों के लिए विख्यात है, जिसमें प्रवासी पक्षियों सहित लगभग 264 प्रजातियाँ हैं, भारतीय मूल के कई क्षेत्रीय पक्षी साल भर यहाँ रहते हैं, इस क्षेत्र से प्रजनन अभिलिखित किया गया है; क्षेत्र में महत्वपूर्ण रैप्टर हनी बज़र्ड, सर्प ईगल, हाव्क ईगल, सफेद बिल्लिड समुद्री ईगल है;

और, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य में बहुत समृद्ध जीवजन्तुओं और वनस्पतियों की विविधता सहित स्तनधारियों की लगभग 47 प्रजातियाँ, सरीसृपों की लगभग 59 प्रजातियाँ, उभयचरों की 20 प्रजातियाँ और तितलियों की 66 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इस क्षेत्र की वनस्पतियों का प्रतिनिधित्व दक्षिणी उष्णकटिबंधीय अर्ध-सदाबहार और पश्चिमी तट अर्ध सदाबहार वन, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन एवं पश्चिमी तट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन द्वारा किया जाता है;

और, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र तेंदुआ बिल्ली (फेलिस बेंगलेंसिस), सामान्य पाम सिवेट (परदोसुरुस हेर्माफ्रोडिटेस), सामान्य नेवला (हर्पस्टेस एड्वर्डसी), भारतीय वन्यजीव कुत्ता (कुओन अल्पाइंस), रीछ (मेलर्सस अरसिनस), भारतीय बृहत गिलहरी (रतुफा इंडिका), एशियाई हाथी (एलिफस मैक्सीमूस), गौर (बोस गौरस), बाघ(पेन्थेरा टीगरीस), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीवों को भी आश्रय प्रदान करता है;

और, उपर्युक्त अभयारण्य मानव वास और चल रही विकासात्मक क्रियाकलापों के अति निकट होने से अभयारण्य के लिए, उचित सुरक्षा उपायों और ऐसी क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है;

और, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर और सिंदुदुर्ग जिला के राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 200 मीटर से 6.01 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 200 मीटर से 6.01 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 250.66 वर्ग किलोमीटर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का न्यूनतम विस्तार (अर्थात् 200 मीटर) सिंदुदुर्ग जिला के कुरली ग्राम के निकट वन भूमि को अनुपलब्धता के कारण है।

(2) राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध-I के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करते हुए राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग, उपाबंध-IIघ और उपाबंध-IIङ के रूप में उपाबद्ध है।

(4) राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III के सारणी क और सारणी ख में दी गई है ।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IVक और उपाबंध-IVख के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्रों के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कृत्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्को और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोतों.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) बहिस्राव का निस्सारण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) ई–अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय यातायात.- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) यानीय प्रदूषण.- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय आकलन निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम,

1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।

आ. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदशक सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
13.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

14.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
16.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
23.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिस्रॉव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्रॉव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिस्रॉव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
25.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्त निगरानी ।
31.	पवन चक्कियाँ और टरबाइन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	इ. संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	निम्नीकृत भूमि/ वन /वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	कलेक्टर, कोल्हापुर	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	कलेक्टर सिंधुदुर्ग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(v)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर योजनाकार	सदस्य;

(vi)	महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	महाराष्ट्र सरकार के सिंचाई विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक, सह्याद्री बाघ परियोजना, कोल्हापुर का प्रतिनिधि	सदस्य;
(x)	महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाला प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(xi)	राज्य जैवविविधता बोर्ड का एक सदस्य	सदस्य;
(xii)	उप वन संरक्षक (टी), सावंतवाड़ी प्रभाग	सदस्य;
(xiii)	उप वन संरक्षक (टी), कोल्हापुर प्रभाग	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो **पैरा 4** के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की जो भारत सरकार के तत्कालीन और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते है, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर सवीक्षा की जाएगी और उसे संबंद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रपत्र में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/02/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

महाराष्ट्र राज्य के राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य का उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन अभयारण्य सीमा से 0.200 किलोमीटर से 6.01 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। उक्त अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग जिलों में देशांतर - 73° 49' 59.4" से 74° 03' 11.57" पूर्व और अक्षांश- 16° 29' 19.9" से 16° 12' 04.5" उत्तर में स्थित है ।

राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत ग्राम निम्नानुसार हैं:

उत्तर	बोरबेट, गैरीवाडे, कमंडलगाँव, मनबेट, राय, बवेली।
पूर्व	बवेली, तालगाँव, दुर्गमनवाड़, पिरल, शिरोली, बुजवाडे, हेलेवाड़ी, पनोरी, फराले, आइनी, फये, खेड़ेज, येरंडपे, वासनोली।
दक्षिण	कोंडोशी, तांबेल, अंटुरली, शिवदेव, दुर्गानगर।
पश्चिम	दुर्गानगर, यवतेश्वर, जंबलगाँव, नारदवे, रंजनगांव, नटाल, कुंभवदे, भीरवंडे, रामेश्वर, गांधीनगर, हरूल के डी., फोंडा, घंसारी, कुर्ली, शिरले, तलैयेकेडी।

उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल पृथ्वी चित्र

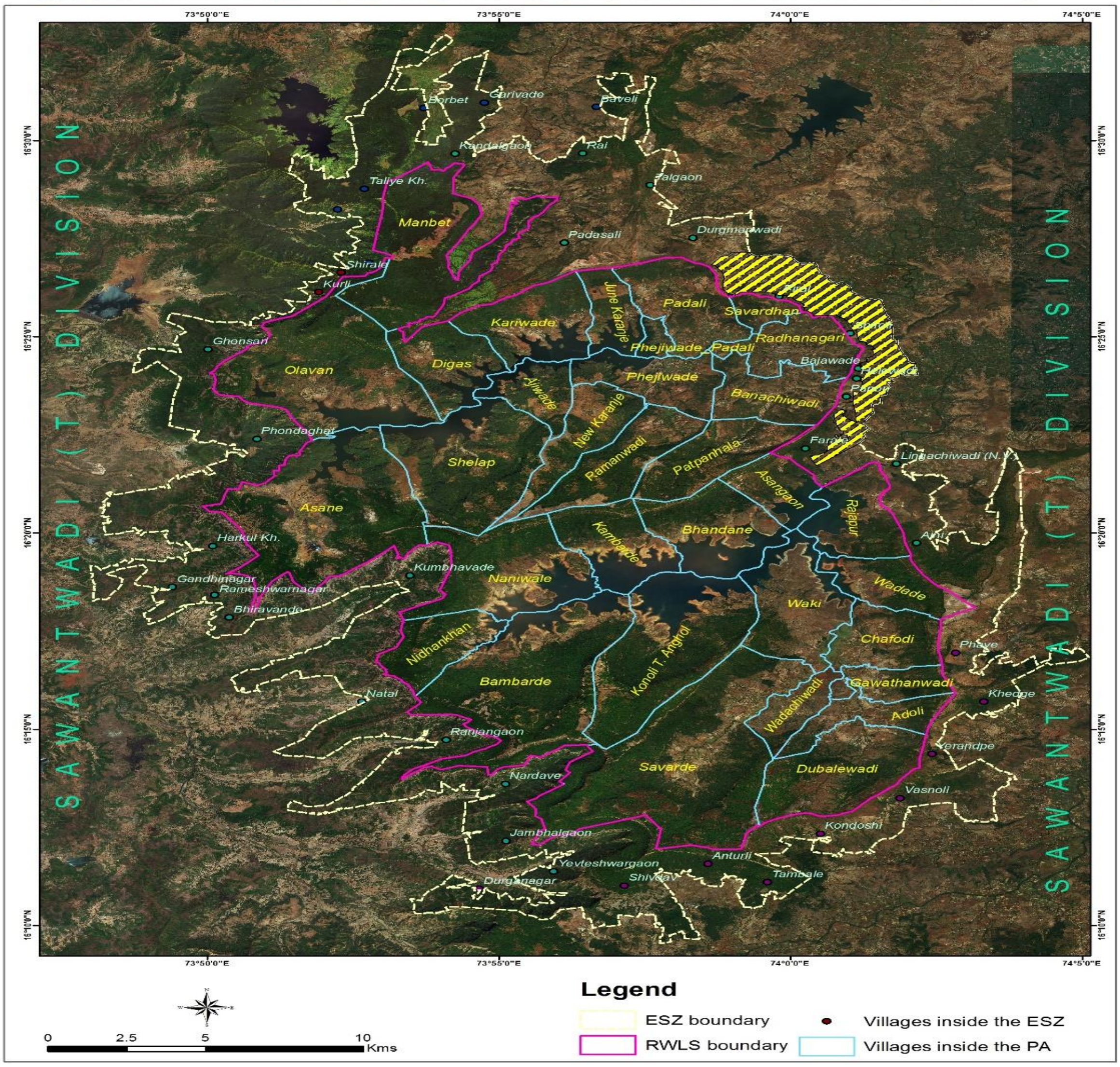

उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

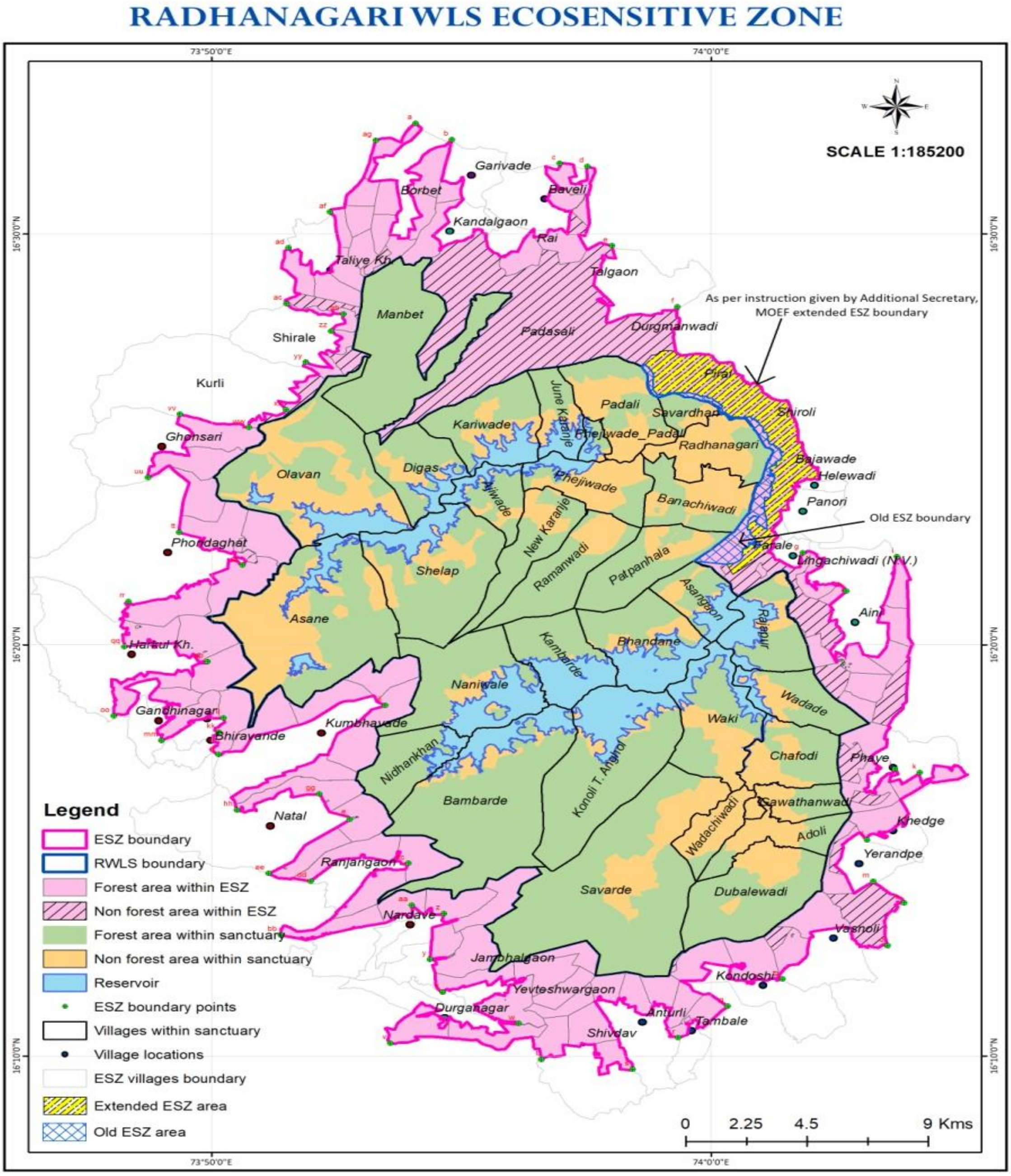

उपाबंध- IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

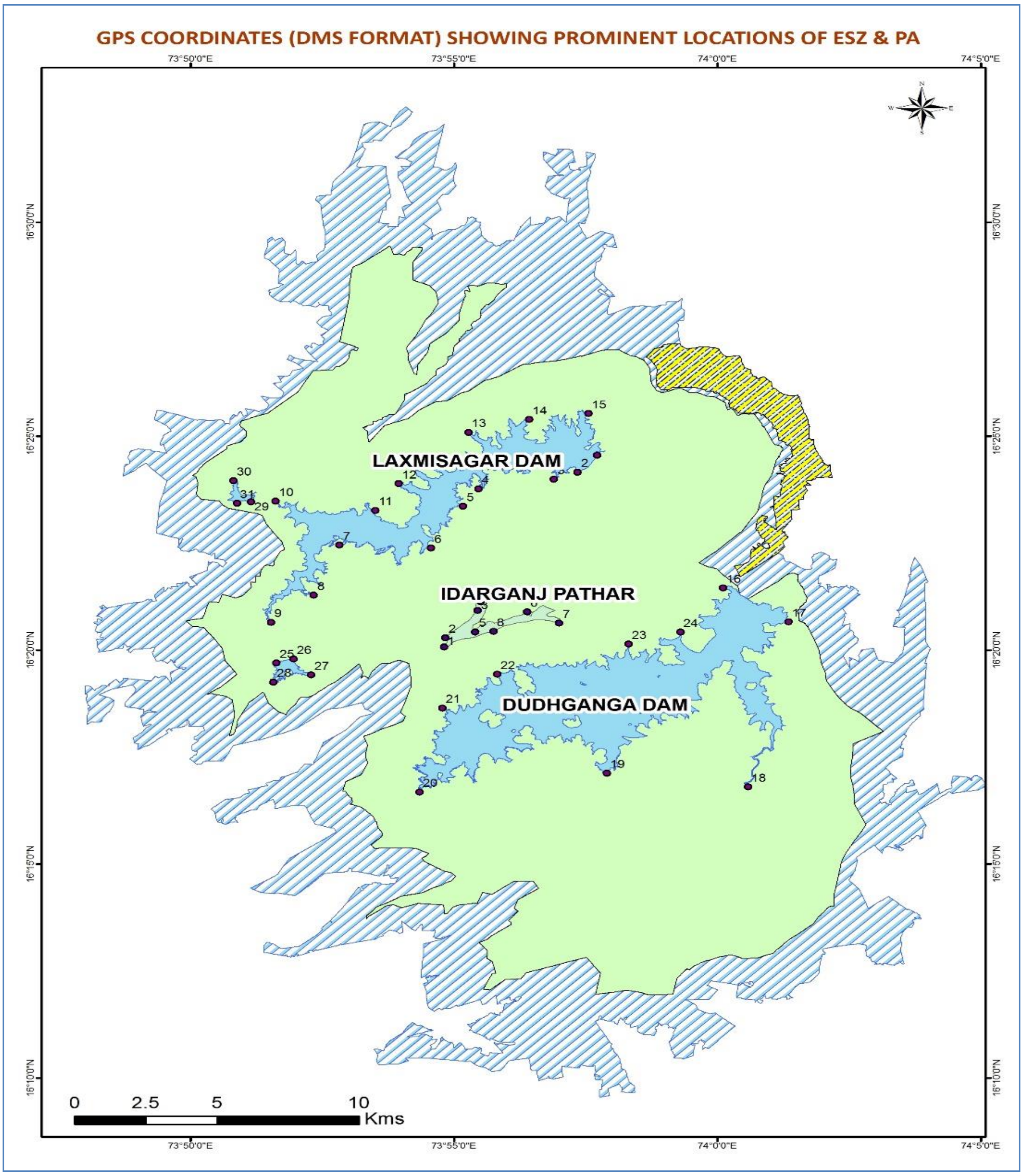

उपाबंध- IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र

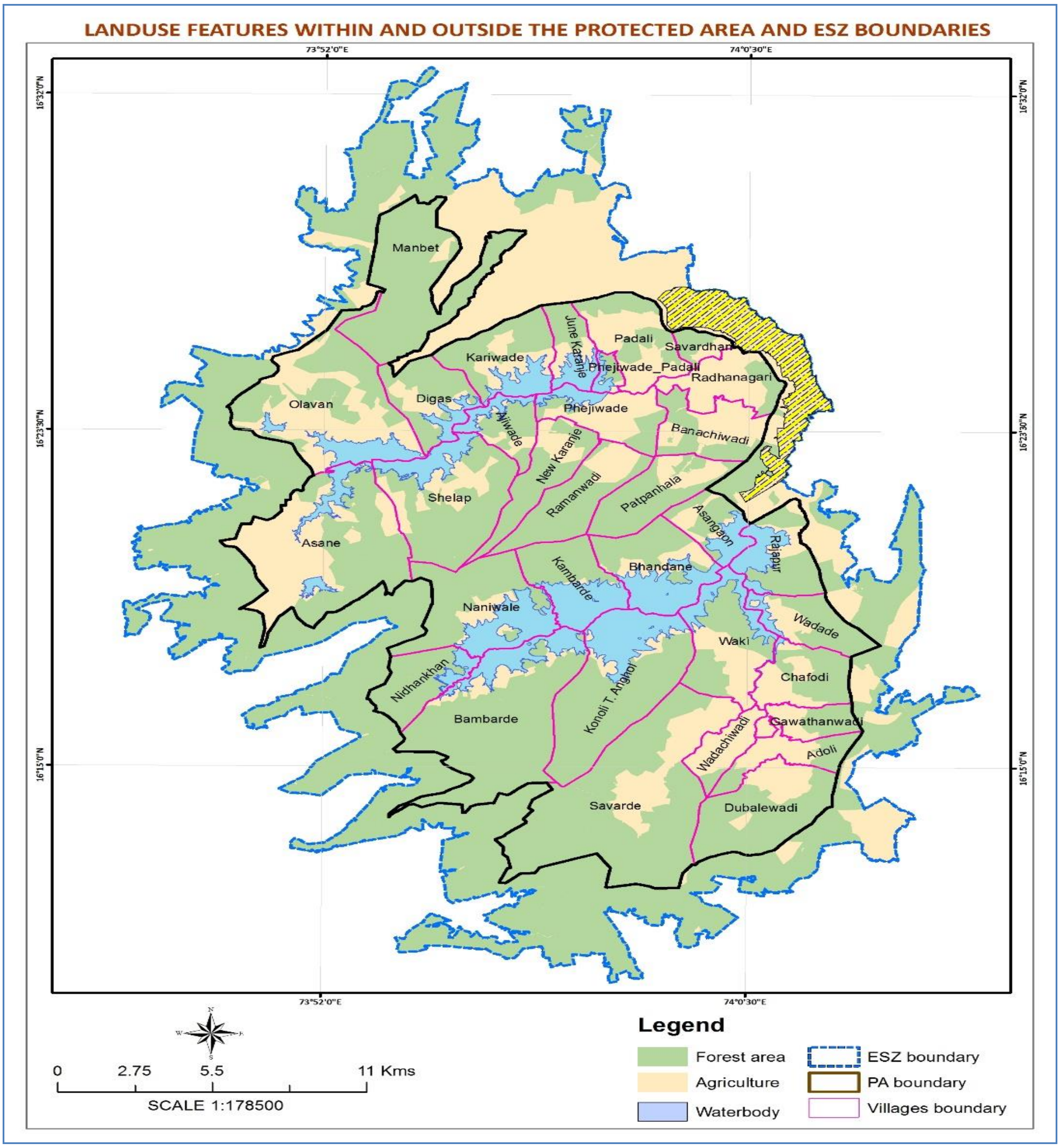

उपाबंध- IIङ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ग्राम अवस्थान को दर्शाने वाला मानचित्र

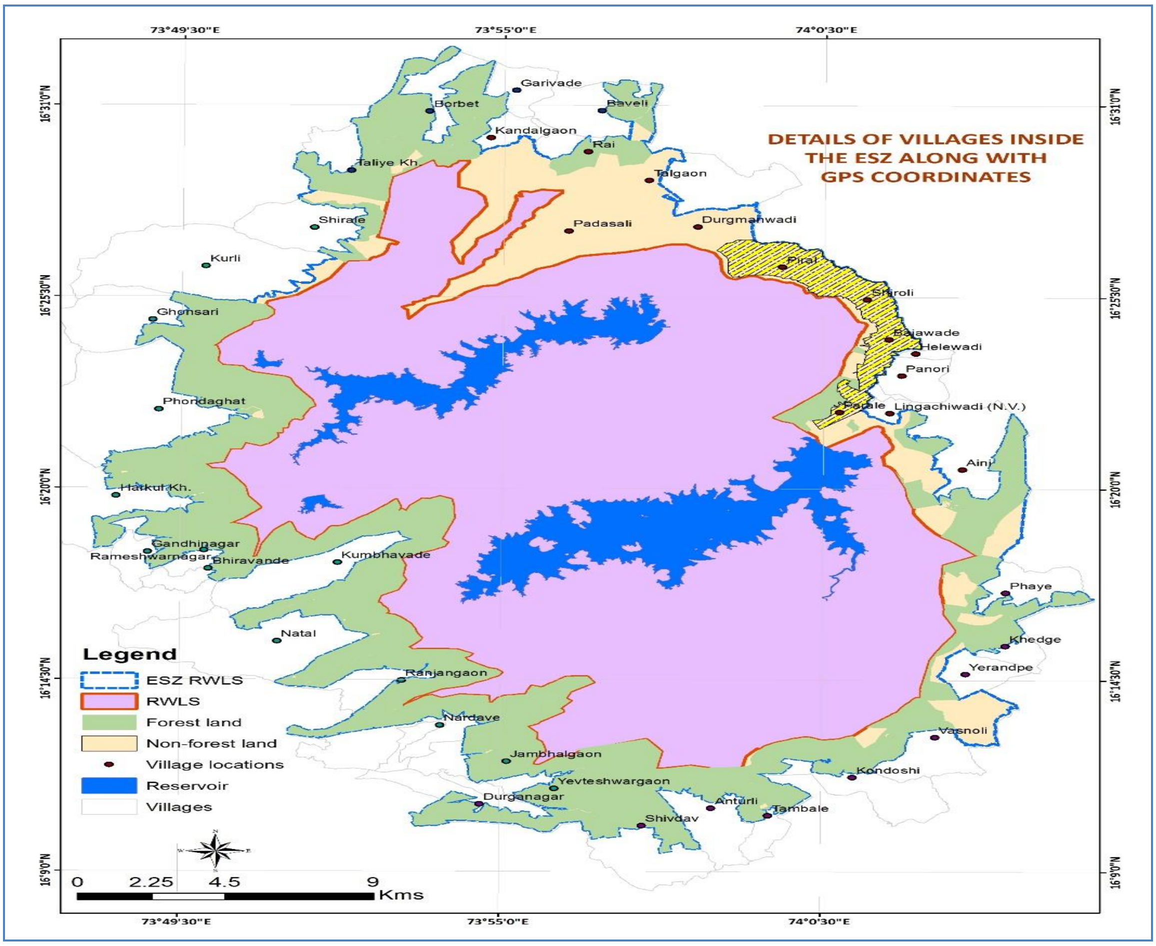

उपाबंध-III

सारणी क: राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	ग्राम के नाम	देशांतर (पू)	अक्षांश(उ)
1.	मनबेट	73.90713	16.489176
2.	मनबेट	73.904201	16.476536
3.	मनबेट	73.90225	16.450124
4.	मनबेट	73.905579	16.439776
5.	मनबेट	73.922335	16.474556
6.	मनबेट	73.933954	16.475094
7.	दिगास	73.890369	16.413439
8.	करीवाडे	73.9309	16.438721
9.	पदाली	73.969466	16.449378
10.	पदाली	73.982785	16.432783
11.	राधानगरी	74.021222	16.411238
12.	पतपानहाला	73.994792	16.366458
13.	आसनगांव	74.009625	16.352004
14.	राजापुर	74.024614	16.362574
15.	राजापुर	74.026483	16.343897
16.	वदादे	74.053215	16.300658
17.	चफोदी	74.043482	16.295931
18.	अदोली	74.047443	16.264714
19.	दुबलेवाडी	74.037428	16.23265
20.	दुबलेवाडी	74.018244	16.214277
21.	सावरदे	73.988368	16.199884
22.	सावरदे	73.962131	16.198451
23.	सावरदे	73.959142	16.212655
24.	सावरदे	73.938883	16.207425
25.	सावरदे	73.922965	16.200842
26.	सावरदे	73.92627	16.207373
27.	सावरदे	73.926041	16.212381
28.	सावरदे	73.918012	16.216325
29.	सावरदे	73.946578	16.238215
30.	बमबारदे	73.926333	16.237978
31.	बमबारदे	73.914241	16.229682
32.	बमबारदे	73.889633	16.227643
33.	बमबारदे	73.917814	16.244287

34.	बमबारदे	73.907059	16.25142
35.	बमबारदे	73.891058	16.256412
36.	निदनखान	73.884386	16.272352
37.	निदनखान	73.887952	16.283851
38.	ननीवाले	73.889119	16.298298
39.	ननीवाले	73.901144	16.304699
40.	ननीवाले	73.902623	16.327368
41.	आसने	73.890164	16.32136
42.	आसने	73.864173	16.307198
43.	आसने	73.856784	16.315954
44.	आसने	73.846271	16.299168
45.	आसने	73.847144	16.312792
46.	आसने	73.839273	16.315115
47.	आसने	73.832586	16.343762
48.	आसने	73.863773	16.371629
49.	ओलावन	73.856549	16.384789
50.	ओलावन	73.837298	16.391105
51.	ओलावन	73.834617	16.400446
52.	ओलावन	73.846267	16.412198
53.	ओलावन	73.84948	16.420092
54.	ओलावन	73.872572	16.440951
55.	ओलावन	73.885323	16.449457
56.	मनबेट	73.88422	16.475464
57.	मनबेट	73.885117	16.480881
58.	मनबेट	73.896903	16.489779

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	ग्राम के नाम	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)
ए.	बोरबेट	73.91416	16.53736
बी.	बोरबेट	73.90205	16.54402
सी.	बवेली	73.95167	16.52768
डी.	बवेली	73.95949	16.52632
ई.	तालागांव	73.96748	16.49432
एफ.	दुर्गमनवाड	73.9893	16.4695
जी.	ऐनी	74.03241	16.37057

एच.	ऐनी	74.04572	16.35423
आई.	ऐनी	74.0629	16.36856
जे.	फराले	74.06238	16.28158
के.	फराले	74.07003	16.28034
एल.	खेड़ेज	74.0526	16.25329
एम.	वशोली	74.05418	16.23611
एन.	वशोली	74.05911	16.23261
ओ.	वशोली	74.06119	16.22576
पी.	कोंदोशी	74.02452	16.19691
क्यू.	तमबाले	74.00611	16.18595
आर.	तमबाले	73.98968	16.17307
एस.	शिवदाव	73.97494	16.15974
टी.	शिवदाव	73.94684	16.16689
यू.	दुर्गानगर	73.89499	16.17642
वी.	दुर्गानगर	73.88458	16.19334
डब्ल्यू.	दुर्गानगर	73.93007	16.17928
एक्स.	जम्बलगांव	73.91104	16.1916
वाई.	जम्बलगांव	73.89989	16.20927
जेड.	नरदावे	73.91143	16.22341
एए.	नरदावे	73.90076	16.22567
बीबी.	नरदावे	73.857	16.21552
सीसी.	रंजनगांव	73.89933	16.24346
डीडी.	रंजनगांव	73.86687	16.23674
ईई.	नटल	73.85283	16.23971
एफएफ.	नटल	73.85879	16.25455
जीजी.	नटल	73.87001	16.27179
एचएच.	नटल	73.84238	16.26548
आईआई.	कुंबावडे	73.8918	16.30788
जेजे.	भीरवंदे	73.83598	16.28784
केके.	भीरवंदे	73.83641	16.29713
एलएल.	भीरवंदे	73.83773	16.30285
एमएम.	रामेश्वरनगर	73.81708	16.29371
एनएन.	गांधीनगर	73.81311	16.30762
ओओ.	हरकुल के डी.	73.80121	16.30383
पीपी.	हरकुल के डी.	73.83145	16.32511
क्यूक्यू.	हरकुल के डी.	73.8047	16.33168

आरआर.	फोंडा	73.80616	16.35003
एसएस.	फोंडा	73.84383	16.36767
टीटी.	फोंडा	73.82303	16.37805
यूयू.	फोंडा	73.80317	16.3986
वीवी.	घोनसारी	73.82332	16.42591
डब्ल्यू डब्ल्यू.	घोनसारी	73.84629	16.42101
एक्स एक्स.	कुरली	73.86286	16.43128
वाई वाई	शिराले	73.86651	16.45022
जेडजेड.	शिराले	73.8738	16.46017
ए बी	तलिये के डी.	73.87806	16.46918
ए सी	तलिये के डी.	73.85846	16.47221
ए डी	तलिये के डी.	73.86705	16.4884
ए ई	तलिये के डी.	73.87631	16.48746
ए एफ	तलिये के डी.	73.87261	16.50747
ए जी	बोरबेट	73.88863	16.5371

उपाबंध-IVक

भू-निर्देशांकों के साथ राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	जिला	तालुका	ग्राम के नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर(पू)
1	कोल्हापुर	गगनबावाडा	तालिये केडी	160 30’ 26.5”	730 52’ 21.8”
2	कोल्हापुर	गगनबावाडा	बोरबेट	160 30’ 14.2”	730 53’ 45.4”
3	कोल्हापुर	गगनबावाडा	गरिवाडे	160 31’ 19”	730 55’ 04.3”
4	कोल्हापुर	राधानगरी	कुण्डलगांव	160 30’ 14.3”	730 54’ 47.5”
5	कोल्हापुर	राधानगरी	मनबेट	160 30’ 04.4”	730 55’ 22”
6	कोल्हापुर	राधानगरी	राय	160 29’ 51.9”	730 56’ 40.9”
7	कोल्हापुर	राधानगरी	पडसाली	160 29’ 18.14”	730 57’ 24.0”
8	कोल्हापुर	गगनबावाडा	बवेली	160 30’ 53.8”	730 56’ 47.7”
9	कोल्हापुर	राधानगरी	तालगांव	160 29’ 01.4”	730 57’ 44.2”
10	कोल्हापुर	राधानगरी	दुर्गामनवाड	160 27’ 53.9”	730 59’ 24.1”
11	कोल्हापुर	राधानगरी	पिराल	160 25’ 59.6”	730 59’ 49.4”
12	कोल्हापुर	राधानगरी	शिरोली	160 25’ 07.8”	740 01’ 08.9”
13	कोल्हापुर	राधानगरी	बुजावाडे	160 24’ 18.6”	740 01’ 17.2”

14	कोल्हापुर	राधानगरी	हेलेवाडी	160 23’ 51.4”	740 01’ 15.1”
15	कोल्हापुर	राधानगरी	पनोरी	160 23’ 29.3”	740 01’ 06.9”
16	कोल्हापुर	राधानगरी	फराले	160 21’ 49.5”	740 00’ 23.4”
17	कोल्हापुर	राधानगरी	लिनगाचिवाडी	160 22’ 04.32”	740 01’ 38.6”
18	कोल्हापुर	राधानगरी	ऐनी	160 19’ 58.0”	740 02’ 52.9”
19	कोल्हापुर	भुदरगढ़	फाये	160 16’ 57.2”	740 03’ 26.5”
20	कोल्हापुर	भुदरगढ़	खेदाडे	160 15’ 26.3”	740 03’ 38.9”
21	कोल्हापुर	भुदरगढ़	येरानदापे	160 14’ 41.5”	740 02’ 35.8”
22	कोल्हापुर	भुदरगढ़	वसनोली	160 13’ 06.4”	740 02’ 44.8”
23	कोल्हापुर	भुदरगढ़	कोंदोशी	160 12’ 08.4”	740 00’ 18.8”
24	कोल्हापुर	भुदरगढ़	तमबाले	160 10’ 43.6”	730 59’ 57.8”
25	कोल्हापुर	भुदरगढ़	अंतुरली	160 11’ 09.9”	730 58’ 30.7”
26	कोल्हापुर	भुदरगढ़	शिवदेवो	160 09’ 58”	730 57’ 49”
27	सिंधुदुर्ग	कुदाल	दुर्गानगर	160 10’ 23.1”	730 54’ 43.5”
28	सिंधुदुर्ग	कुदाल	येवतेश्वर	160 11’ 08.9”	730 55’ 08.6”
29	सिंधुदुर्ग	कुदाल	जम्भालगांव	160 11’ 56.7”	730 54’ 21.1”
30	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	नरदावे	160 13’ 22.8”	730 54’ 18”
31	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	रंजनगांव	160 14’ 38.1”	730 53’ 38.7”
32	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	नटाल	160 15’ 51.1”	730 52’ 19.9”
33	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	कुम्भावाडे	160 18’ 43.1”	730 53’ 17.3”
34	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	भिरवान्दे	160 17’ 44.6”	730 50’ 04.4”
35	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	रामेश्वरनगर	160 18’ 09.4”	730 49’ 55.1”
36	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	गांधीनगर	160 18’ 21.5”	730 49’ 05.6”
37	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	हरकुल के डी.	160 19’ 25.3”	730 49’ 38.8”
38	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	फोन्डा	160 22’ 32.7”	730 49’ 48.5”
39	सिंधुदुर्ग	कन्कावली	घोनसारी	160 24’ 54.3”	730 49’ 30.4”
40	सिंधुदुर्ग	वैभववाडी	कुरली	160 25’ 52.4”	730 51’ 46.4”
41	सिंधुदुर्ग	वैभववाडी	शिराले	160 27’ 36.6”	730 52’ 25.8”

उपाबंध-IVख

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ग्रामों की प्रभाग-वार संख्या और वन एवं गैर-वन के क्षेत्र

					(क्षेत्र हेक्टेयर में)		
क्र. सं.	**जिला**	**तालुका**	**श्रेणी**	**ग्रामों की सं.**	**पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र**		**कुल (हेक्टेयर)**
					वन	**गैर वन**	
1	कोल्हापुर	14	2296.38	14	2296.38	5794.40	8090.78
2	कोल्हापुर	4	2114.98	4	2114.98	97.73	2212.71
3	कोल्हापुर	3	1134.17	3	1134.17	229.77	1363.94
4	कोल्हापुर	5	3316.2	5	3316.2	56.04	3372.24
	कुल कोल्हापुर प्रभाग			**26**	**8861.73**	**6177.94**	**15039.67**
5	सिंधुदुर्ग	3	1618.45	3	1618.45	0.00	1618.45
6	सिंधुदुर्ग	12	8407.76	12	8407.76	0.00	8407.76
	कुल सावन्तवाडी प्रभाग			**15**	**10026.21**	**0.00**	**10026.21**
	कुल योग			**41**	**18887.94**	**6177.94**	**25065.88**

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र : -

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2020

S.O. 3630(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2455 (E), dated the 10th July, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 10th July, 2019;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, Government of Maharashtra vide its Gazette Notification No. WLP/1085/C.R.581/V.F.5/, dated the 16th September, 1985 has declared 351.16 square kilometre area of Radhanagari Wildlife Sanctuary under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) comprising of the Sanctuary in the State of Maharashtra;

AND WHEREAS, the Radhanagari Wildlife Sanctuary is known for rich avifauna with about 264 species of birds including migratory, a number of territorial birds of Indian origin stay here around the year, breeding of have been recorded from this region; honey buzzard, serpent eagle, hawk eagle, white bellied sea eagle are important raptors in the area;

AND WHEREAS, the Radhanagari Wildlife Sanctuary has very high faunal and floral diversity with about 47 species of mammals, about 59 species of reptiles, 20 species of amphibian and 66 species of butterflies are found and the flora of this area is represented by Southern tropical semi-evergreen and west coast semi evergreen forests, southern tropical moist mixed deciduous forests and West coast tropical evergreen forests;

AND WHEREAS, the Radhanagari Wildlife Sanctuary also supports important wildlife such as leopard cat (Felis bengalensis), common palm civet (Paradoxurus hermaphrodites), common mongoose (Herpestes edwardsi), Indian wild dog (Cuon alpines), sloth bear (Melursus ursinus), Indian giant squirrel (Ratufa indica), Indian elephant (Elephas maximus), gaur (Bos gaurus), tiger (Panthera tigris), leopard (Panthera pardus), etc;

AND WHEREAS, the extremely close vicinity of the above-mentioned Radhanagari Wildlife Sanctuary to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Radhanagari Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 200 metres to 6.01 kilometres around the boundary of Radhanagari Wildlife Sanctuary, in Kolhapur and Sindudurg Districts in the State of Maharashtra as the Radhanagari Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 200 metres to 6.01 kilometres around the boundary of Radhanagari Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone shall be 250.66 square kilometres. The minimum extent of Eco-sensitive Zone (i. e. 200 meters) is due to non-availability of forest land near Kurli village of Sindudurg district.

(2) The boundary description of Radhanagari Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in Annexure-I.

(3) The maps of the Radhanagari Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID, and Annexure-IIE.

(4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Radhanagari Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of Annexure-III.

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Annexure-IVA and Annexure-IVB.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Maharashtra State Pollution Control Board; and

(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the

Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. **(1)**	**Activity** **(2)**	**Description** **(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of

		T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the

		competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	New wood based industry.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Commercial use of firewood.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.

24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Wind mills and turbines.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	**Constituent of the Monitoring Committee**	**Designation**
(i)	Collector, Kolhapur	Chairman, ex-officio;
(ii)	A representative of the Collector Sindhudurg	Member;

(iii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iv)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member;
(v)	Senior Town Planner of the area	Member;
(vi)	A representative of the Department of Revenue, Government of Maharashtra	Member;
(vii)	A representative of the Department of Irrigation, Government of Maharashtra	Member;
(viii)	A representative of the Public Works Department, Government of Maharashtra	Member;
(ix)	A representative of Chief Conservator of Forests and Field Director, Sahyadri Tiger Project, Kolhapur	Member;
(x)	One expert in the area of ecology and environment from reputed Institution or University of the State to be nominated by the Government of Maharashtra	Member;
(xi)	One member of State Biodiversity Board	Member;
(xii)	Deputy Conservator of Forests (T), Sawantwadi Division	Member;
(xiii)	Deputy Conservator of Forests (T), Kolhapur Division	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. **25/02/2017-ESZ**]

Dr. SATISH C. GARKOTI**,** Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF RADHANAGARI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE MAHARASHTRA

The said Eco-Sensitive Zone of the Radhnagari Wildlife Sanctuary is the area upto 0.200 kilometres to 6.01 kilometres from the Sanctuary boundary. The said Sanctuary is situated in the Kolhapur & Sindhudurg districts of Maharashtra State In between Longitude- 73° 49' 59.4" to 74° 03' 11.57" East and Latitude- 16° 29' 19.9" to 16° 12' 04.5" North.

Villages inside Radhnagari Wildlife Sanctuary are as follows:

North	Borbet, Garivade, Kandalgaon, Manbet, Rai, Baveli.
East	Baveli, Talgaon, Durgamanwad, TaraleKasaba, Kuditri, Mallewadi, Helewadi, Panori, Pharale, Lingachiwadi, Aini, Phaye, Khedage, Yerandape,Vasnoli.
South	Kondoshi, Tambale, Anturli, Shivdav, Durganagar.
West	Durganagar, Yavateshawar, Jambhalgaon, Nardave, Ranjangaon, Natal, Kumbhavade, Bhirvande, Rameshwar, Gandhinagar, HarulKd.,Phonda, Ghonsari, Kurli, Shirale, Taliyekd.

ANNEXURE- IIA

GOOGLE EARTH IMAGE OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RADHANAGARI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

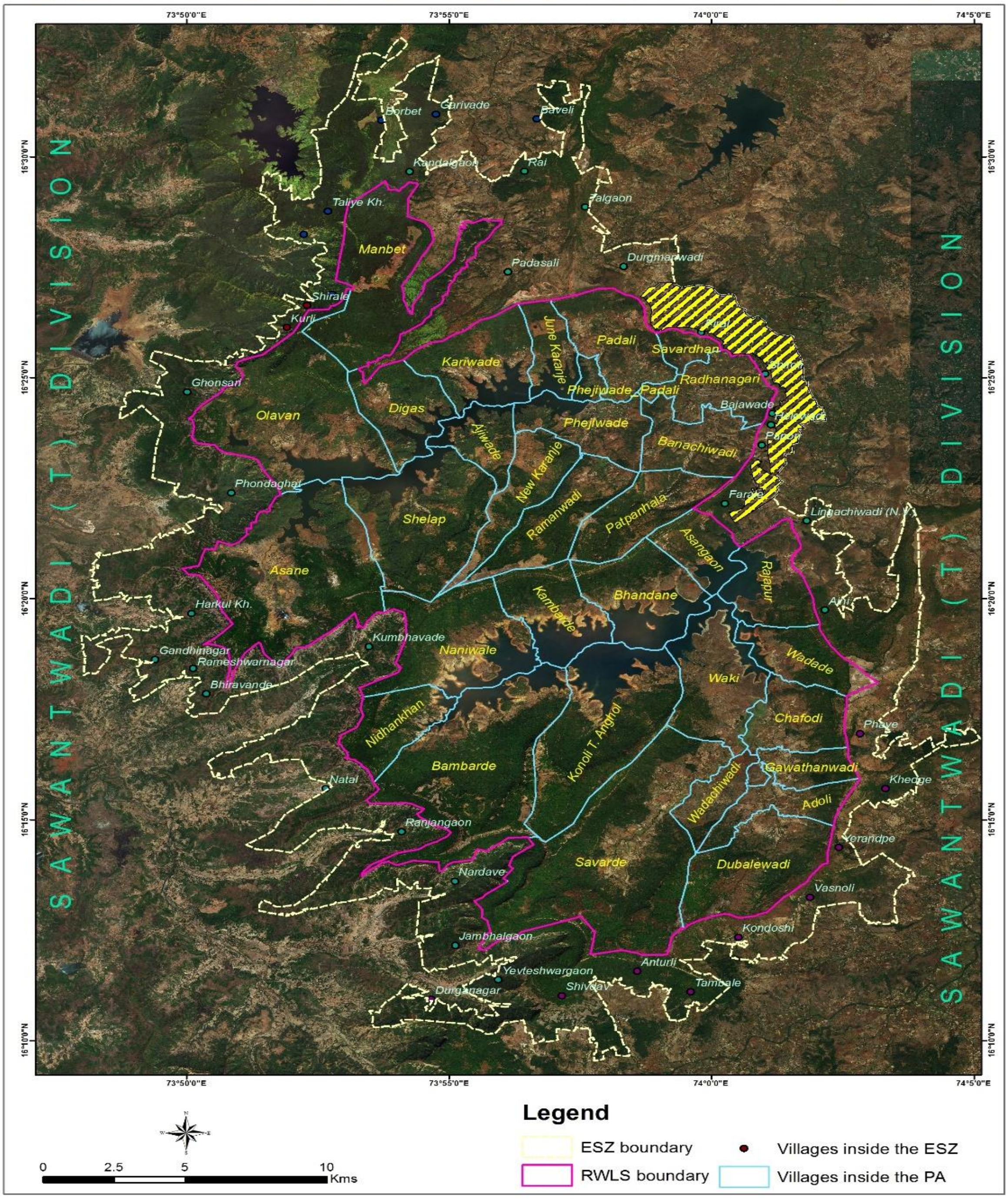

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RADHANAGARI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

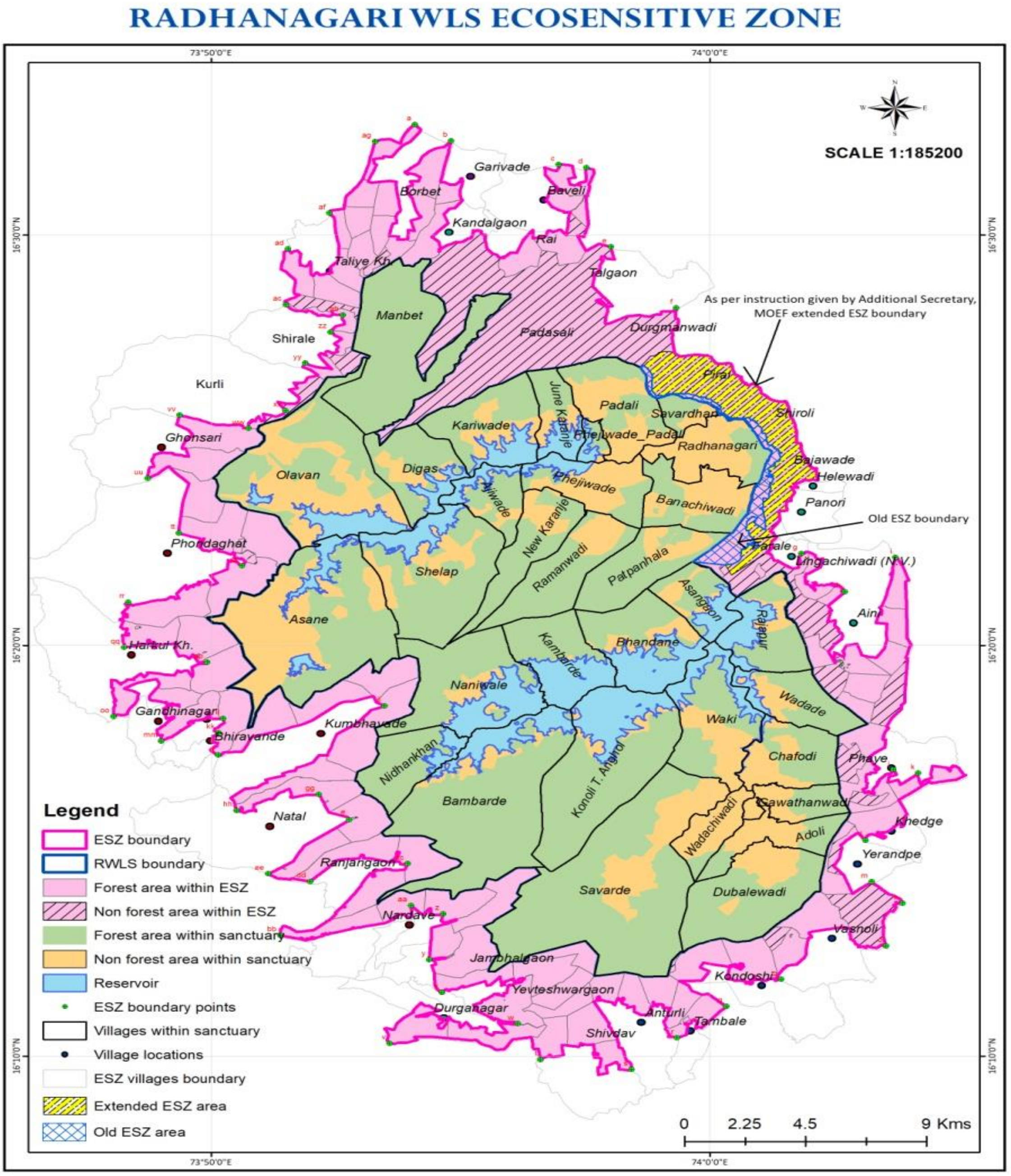

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RADHANAGARI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

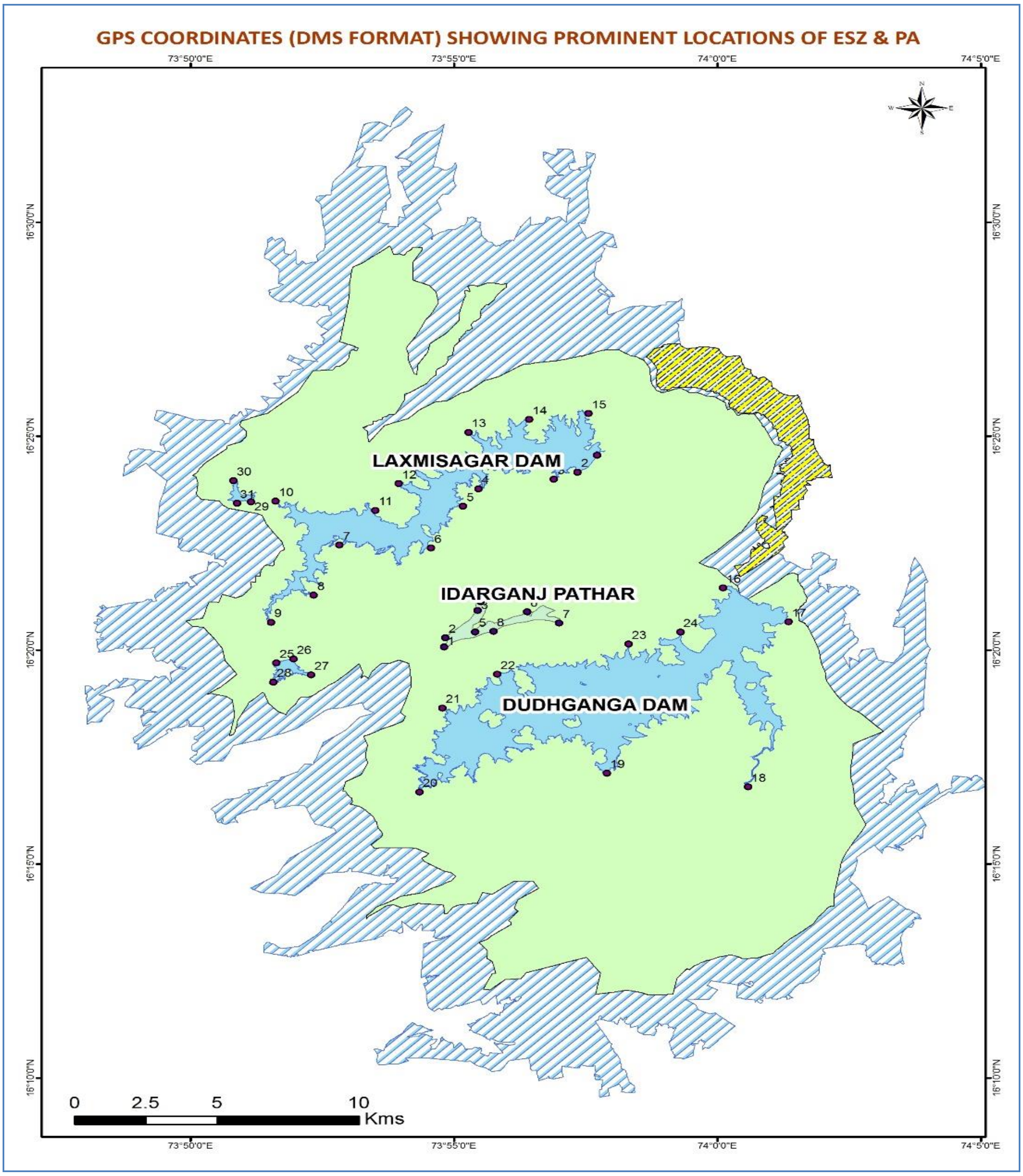

ANNEXURE- IID

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RADHANAGARI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

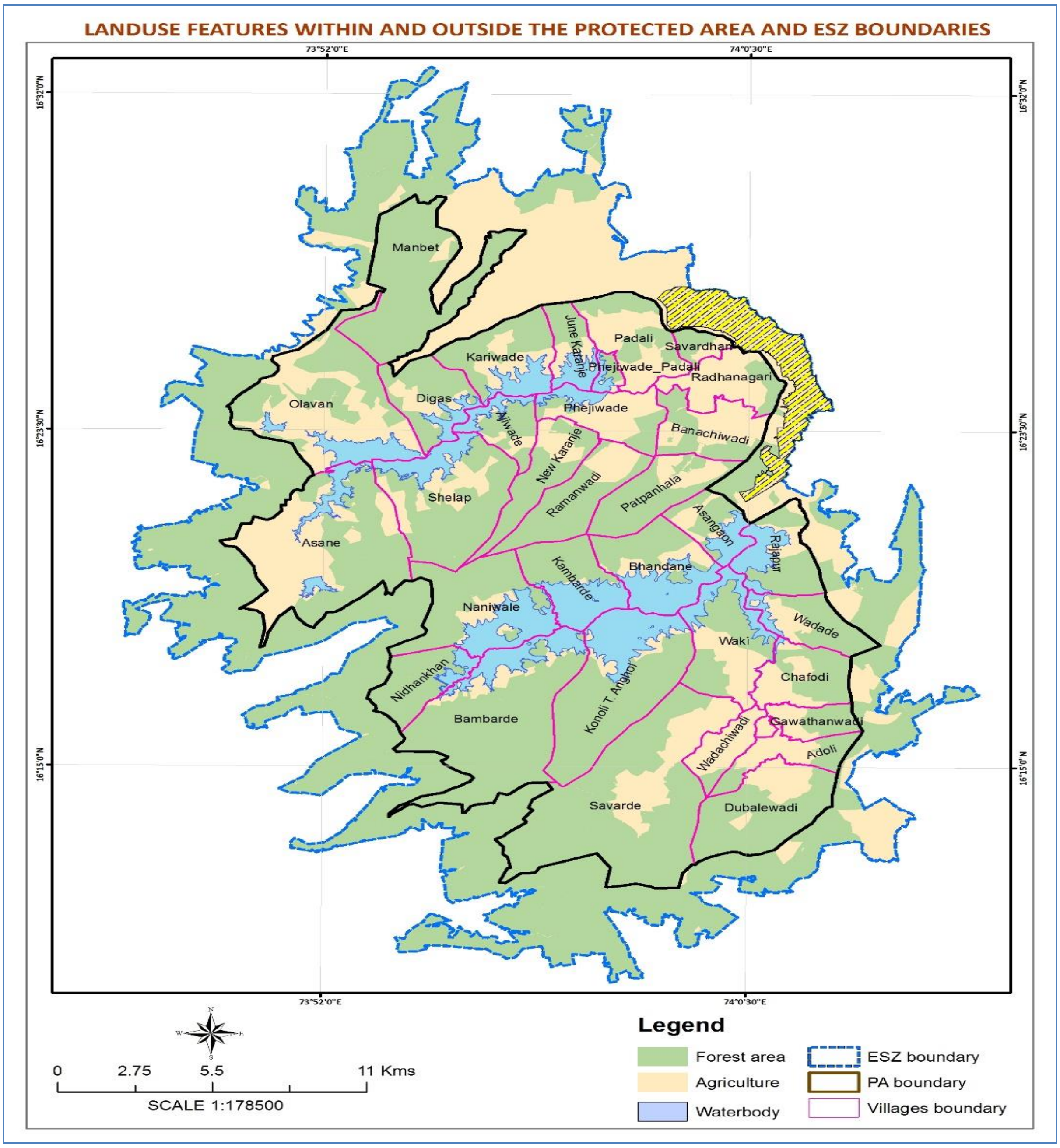

ANNEXURE- IIE

MAP SHOWING VILLAGES LOCATION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RADHANAGARI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

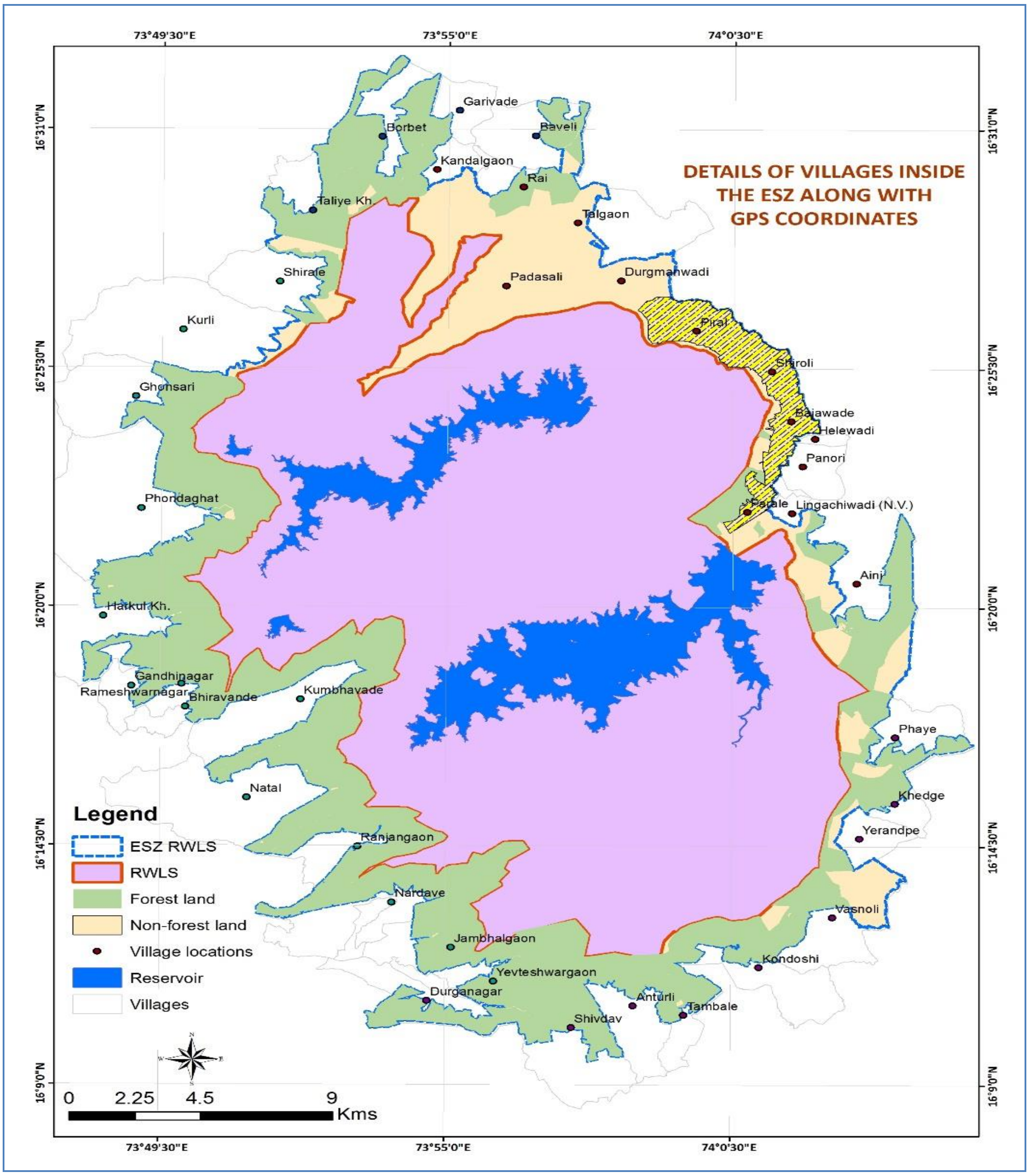

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF RADHANAGARI WILDLIFE SANCTUARY

Sr. No.	Village Name	Longitude (E)	Latitude (N)
1.	Manbet	73.90713	16.489176
2.	Manbet	73.904201	16.476536
3.	Manbet	73.90225	16.450124
4.	Manbet	73.905579	16.439776
5.	Manbet	73.922335	16.474556
6.	Manbet	73.933954	16.475094
7.	Digas	73.890369	16.413439
8.	Karivade	73.9309	16.438721
9.	Padali	73.969466	16.449378
10.	Padali	73.982785	16.432783
11.	Radhanagari	74.021222	16.411238
12.	Patpanhala	73.994792	16.366458
13.	Asangao	74.009625	16.352004
14.	Rajapur	74.024614	16.362574
15.	Rajapur	74.026483	16.343897
16.	Vadade	74.053215	16.300658
17.	Chafodi	74.043482	16.295931
18.	Adoli	74.047443	16.264714
19.	Dubalewadi	74.037428	16.23265
20.	Dubalewadi	74.018244	16.214277
21.	Savarde	73.988368	16.199884
22.	Savarde	73.962131	16.198451
23.	Savarde	73.959142	16.212655
24.	Savarde	73.938883	16.207425
25.	Savarde	73.922965	16.200842
26.	Savarde	73.92627	16.207373
27.	Savarde	73.926041	16.212381
28.	Savarde	73.918012	16.216325
29.	Savarde	73.946578	16.238215
30.	Bambarde	73.926333	16.237978
31.	Bambarde	73.914241	16.229682
32.	Bambarde	73.889633	16.227643
33.	Bambarde	73.917814	16.244287

34.	Bambarde	73.907059	16.25142
35.	Bambarde	73.891058	16.256412
36.	Nidankhan	73.884386	16.272352
37.	Nidankhan	73.887952	16.283851
38.	Nanivale	73.889119	16.298298
39.	Nanivale	73.901144	16.304699
40.	Nanivale	73.902623	16.327368
41.	Asane	73.890164	16.32136
42.	Asane	73.864173	16.307198
43.	Asane	73.856784	16.315954
44.	Asane	73.846271	16.299168
45.	Asane	73.847144	16.312792
46.	Asane	73.839273	16.315115
47.	Asane	73.832586	16.343762
48.	Asane	73.863773	16.371629
49.	Olavan	73.856549	16.384789
50.	Olavan	73.837298	16.391105
51.	Olavan	73.834617	16.400446
52.	Olavan	73.846267	16.412198
53.	Olavan	73.84948	16.420092
54.	Olavan	73.872572	16.440951
55.	Olavan	73.885323	16.449457
56.	Manbet	73.88422	16.475464
57.	Manbet	73.885117	16.480881
58.	Manbet	73.896903	16.489779

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Village Name	Longitude (E)	Latitude (N)
a.	Borbet	73.91416	16.53736
b.	Borbet	73.90205	16.54402
c.	Baveli	73.95167	16.52768
d.	Baveli	73.95949	16.52632
e.	Talagaon	73.96748	16.49432
f.	Durgmanwad	73.9893	16.4695
g.	Aini	74.03241	16.37057
h.	Aini	74.04572	16.35423
i.	Aini	74.0629	16.36856

j.	Farale	74.06238	16.28158
k.	Farale	74.07003	16.28034
l.	Khedage	74.0526	16.25329
m.	Vasholi	74.05418	16.23611
n.	Vasholi	74.05911	16.23261
o.	Vasholi	74.06119	16.22576
p.	Kondoshi	74.02452	16.19691
q.	Tambale	74.00611	16.18595
r.	Tambale	73.98968	16.17307
s.	Shivdav	73.97494	16.15974
t.	Shivdav	73.94684	16.16689
u.	Durganagar	73.89499	16.17642
v.	Durganagar	73.88458	16.19334
w.	Durganagar	73.93007	16.17928
x.	Jambalgaon	73.91104	16.1916
y.	Jambalgaon	73.89989	16.20927
z.	Naradave	73.91143	16.22341
aa.	Naradave	73.90076	16.22567
bb.	Naradave	73.857	16.21552
cc.	Ranjangao	73.89933	16.24346
dd.	Ranjangao	73.86687	16.23674
ee.	Natal	73.85283	16.23971
ff.	Natal	73.85879	16.25455
gg.	Natal	73.87001	16.27179
hh.	Natal	73.84238	16.26548
ii.	Kumbavade	73.8918	16.30788
jj.	Bhirvande	73.83598	16.28784
kk.	Bhirvande	73.83641	16.29713
ll.	Bhirvande	73.83773	16.30285
mm.	Rameswernagar	73.81708	16.29371
nn.	Ghandinagar	73.81311	16.30762
oo.	HarkulKd.	73.80121	16.30383
pp.	HarkulKd.	73.83145	16.32511
qq.	HarkulKd.	73.8047	16.33168
rr.	Phonda	73.80616	16.35003
ss.	Phonda	73.84383	16.36767
tt.	Phonda	73.82303	16.37805
uu.	Phonda	73.80317	16.3986
vv.	Ghonsari	73.82332	16.42591
ww.	Ghonsari	73.84629	16.42101
xx.	Kurali	73.86286	16.43128

yy.	Shirale	73.86651	16.45022
zz.	Shirale	73.8738	16.46017
ab	Taliyekd.	73.87806	16.46918
ac	Taliyekd.	73.85846	16.47221
ad	Taliyekd.	73.86705	16.4884
ae	Taliyekd.	73.87631	16.48746
af	Taliyekd.	73.87261	16.50747
ag	Borbet	73.88863	16.5371

ANNEXURE-IVA

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF RADHANAGARI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	District	Taluka	Name of Village	Latitude (N)	Longitude (E)
1	Kolhapur	Gaganbawada	TaliyeKd	160 30’ 26.5”	730 52’ 21.8”
2	Kolhapur	Gaganbawada	Borbet	160 30’ 14.2”	730 53’ 45.4”
3	Kolhapur	Gaganbawada	Garivade	160 31’ 19”	730 55’ 04.3”
4	Kolhapur	Radhanagari	Kandalgaon	160 30’ 14.3”	730 54’ 47.5”
5	Kolhapur	Radhanagari	Manbet	160 30’ 04.4”	730 55’ 22”
6	Kolhapur	Radhanagari	Rai	160 29’ 51.9”	730 56’ 40.9”
7	Kolhapur	Radhanagari	Padsali	160 29’ 18.14”	730 57’ 24.0”
8	Kolhapur	Gaganbawada	Baveli	160 30’ 53.8”	730 56’ 47.7”
9	Kolhapur	Radhanagari	Talgaon	160 29’ 01.4”	730 57’ 44.2”
10	Kolhapur	Radhanagari	Durgamanwad	160 27’ 53.9”	730 59’ 24.1”
11	Kolhapur	Radhanagari	Piral	160 25’ 59.6”	730 59’ 49.4”
12	Kolhapur	Radhanagari	Shiroli	160 25’ 07.8”	740 01’ 08.9”
13	Kolhapur	Radhanagari	Bujawade	160 24’ 18.6”	740 01’ 17.2”
14	Kolhapur	Radhanagari	Helewadi	160 23’ 51.4”	740 01’ 15.1”
15	Kolhapur	Radhanagari	Panori	160 23’ 29.3”	740 01’ 06.9”
16	Kolhapur	Radhanagari	Pharale	160 21’ 49.5”	740 00’ 23.4”
17	Kolhapur	Radhanagari	Lingachiwadi	160 22’ 04.32”	740 01’ 38.6”
18	Kolhapur	Radhanagari	Aini	160 19’ 58.0”	740 02’ 52.9”
19	Kolhapur	Bhudargad	Phaye	160 16’ 57.2”	740 03’ 26.5”
20	Kolhapur	Bhudargad	Khedage	160 15’ 26.3”	740 03’ 38.9”
21	Kolhapur	Bhudargad	Yerandape	160 14’ 41.5”	740 02’ 35.8”
22	Kolhapur	Bhudargad	Vasnoli	160 13’ 06.4”	740 02’ 44.8”
23	Kolhapur	Bhudargad	Kondoshi	160 12’ 08.4”	740 00’ 18.8”
24	Kolhapur	Bhudargad	Tambale	160 10’ 43.6”	730 59’ 57.8”
25	Kolhapur	Bhudargad	Anturli	160 11’ 09.9”	730 58’ 30.7”

26	Kolhapur	Bhudargad	Shivdao	160 09’ 58”	730 57’ 49”
27	Sindhudurg	Kudal	Durganagar	160 10’ 23.1”	730 54’ 43.5”
28	Sindhudurg	Kudal	Yevateshwar	160 11’ 08.9”	730 55’ 08.6”
29	Sindhudurg	Kudal	Jambhalgaon	160 11’ 56.7”	730 54’ 21.1”
30	Sindhudurg	Kankavali	Nardave	160 13’ 22.8”	730 54’ 18”
31	Sindhudurg	Kankavali	Ranjangaon	160 14’ 38.1”	730 53’ 38.7”
32	Sindhudurg	Kankavali	Natal	160 15’ 51.1”	730 52’ 19.9”
33	Sindhudurg	Kankavali	Kumbhawade	160 18’ 43.1”	730 53’ 17.3”
34	Sindhudurg	Kankavali	Bhirwande	160 17’ 44.6”	730 50’ 04.4”
35	Sindhudurg	Kankavali	Rameshwarnagar	160 18’ 09.4”	730 49’ 55.1”
36	Sindhudurg	Kankavali	Gandhinagar	160 18’ 21.5”	730 49’ 05.6”
37	Sindhudurg	Kankavali	HarkulKd.	160 19’ 25.3”	730 49’ 38.8”
38	Sindhudurg	Kankavali	Phonda	160 22’ 32.7”	730 49’ 48.5”
39	Sindhudurg	Kankavali	Ghonsari	160 24’ 54.3”	730 49’ 30.4”
40	Sindhudurg	Vaibhavwadi	Kurli	160 25’ 52.4”	730 51’ 46.4”
41	Sindhudurg	Vaibhavwadi	Shirale	160 27’ 36.6”	730 52’ 25.8”

ANNEXURE-IVB

DIVISION-WISE NUMBER OF VILLAGES AND AREA OF FOREST & NON-FOREST OF THE ECO-SENSITIVE ZONE

					(Area in Ha.)		
Sr. No.	**District**	**Taluka**	**Range**	**No of Villages**	**ESZ Area**		**Total (Ha.)**
					Forest	**Non Forest**	
1	Kolhapur	Radhanagari	Radhanagari	14	2296.38	5794.40	8090.78
2	Kolhapur	Gaganbavada	Gaganbavada	4	2114.98	97.73	2212.71
3	Kolhapur	Bhudargad	Gargoti	3	1134.17	229.77	1363.94
4	Kolhapur	Bhudargad	Kadgaon	5	3316.2	56.04	3372.24
	Kolhapur Division Total			**26**	**8861.73**	**6177.94**	**15039.67**
5	Sindhudurg	Kudal	Kadawal	3	1618.45	0.00	1618.45
6	Sindhudurg	Kankavali& Vaibhavwadi	Kankavali	12	8407.76	0.00	8407.76
	Sawantwadi Division Total			**15**	**10026.21**	**0.00**	**10026.21**
	Grand Total			**41**	**18887.94**	**6177.94**	**25065.88**

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA